



क्षेत्रीय कार्यालय (तमिलनाडु)
REGIONAL OFFICE (TAMILNADU)
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
143, स्टर्लिंग रोड, चेन्नै-600 034.
143, STERLING ROAD, CHENNAI-600 034.

दूरभाष Phone : 28306300
(100 lines)
फैक्स Fax : 28238559

ई मेल Email : rd-tamilnadu@esic.nic.in

आई एस ओ 9001:2000 प्रमाणित

वेबसाइट Website: www.esichennai.org

(ISO 9001:2000 Certified)

संख्या: 51 ए / 22 (15) सहा.-पदो.06 / प्रशासन।

दिनांक: 19/2/2010

हिन्दी रूपांतर

2010 का कार्यालय आदेश संख्या 44 (ई) OFFICE ORDER No. 44(E) of 2010

अपर आयुक्त ने निम्नलिखित कर्मचारियों के तदर्थ आधार पर सहायक के पद पर पदोन्नति को मंजूरी प्रदान की है।

क्रम सं.	कर्मचारियों का नाम सौ/श्री	वर्तमान तैनाती का स्थान	अब आदेशित तैनाती का स्थान
1.	एस.बी.गीता (2690), प्र.श्रे.लि./रो.	शा.का.,अडयार	सहायक, बीमा VIII,क्षे.का., चेन्नै
2.	एस.विद्या (2675), प्र.श्रे.लि.	क.रा.बी.नि.,के.के.नगर	सहायक, क.रा.बी.नि.,के.के.नगर
3.	आर.मोहन (2721), प्र.श्रे.लि.	उप.क्षे.का.,मदुरै	सहायक, उप.क्षे.का.,मदुरै
4.	आई.बालाकृष्णन (2701), प्र.श्रे.लि.	उप.क्षे.का.,मदुरै	सहायक, उप.क्षे.का.,मदुरै
5.	आर.राजु(2686) प्र.श्रे.लि.	उप.क्षे.का.,सेलम	सहायक, उप.क्षे.का.,सेलम
6.	ए.कन्दसामी(2217)(अ.जा.) प्र.श्रे.लि.	उप.क्षे.का.,सेलम	सहायक, उप.क्षे.का.,सेलम
7.	जी.राजेन्द्रन(2320) (अ.जन.जा.) प्र.श्रे.लि.	चि.नि.का कार्यालय,चेन्नै	सहायक, चि.नि.का कार्यालय,चेन्नै
8.	एस.समयन(2270) (अ.जा.) प्र.श्रे.लि.	उप.क्षे.का.,मदुरै	सहायक, उप.क्षे.का.,सेलम
9.	वी.महालिंगम(2294) (अ.जा.) प्र.श्रे.लि.	उप.क्षे.का.,मदुरै	सहायक, उप.क्षे.का.,सेलम
10.	एम.वणिता(3359) (अ.जन.जा.) प्र.श्रे.लि.	उप.क्षे.का.,सेलम	सहायक, उप.क्षे.का.,सेलम

2. उक्त कर्मचारियों की पदोन्नति वरिष्ठों के अधिकारों पर बुरा प्रभाव डाले बिना पूरी तरह तदर्थ आधार पर पदोन्नत पदभार संभालने के दिनांक से प्रभावी होगा नियमित पदधारी उपलब्ध होने पर या बिना कोई सूचना दिए किसी भी समय या किसी भी कारण का उल्लेख करते हुए उन्हें किसी भी समय प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। तदर्थ पदोन्नति वरिष्ठता या नियमित पदोन्नति का अधिकार प्रदान नहीं करती है।

3. वे समय-समय पर संशोधित क.रा.बी.निगम (कर्मचारी एवं सेवा शर्तें) विनियम 1959 के अर्न्तगत आने वाले समान श्रेणी के कर्मचारियों पर लागू, निबंधन और शर्तों के अधीन होंगे। ये कर्मचारी रु.9300-34800+4200 ग्रेड पे के वेतनमान के अर्न्तगत वेतन आहरित करेंगे।

4. किसी कर्मचारी द्वारा पदोन्नति की अस्वीकृति मामले में, पदोन्नति कनिष्ठ कर्मचारियों को प्रदान की जाएगी और अस्वीकृति की दिनांक से एक वर्ष की अवधि तक उसकी पदोन्नति के संबंध में विचार नहीं किया जाएगा। इस प्रकार से ऐसे कनिष्ठ अपने वरिष्ठों जिन्होंने पदोन्नति लेने से इंकार कर दिया, से अधिक वेतन और अन्य लाभ आहरित कर सकते हैं और भविष्य में वरिष्ठों को कोई राहत नहीं मिलेगी। प्रशासन शाखा को दिनांक 26/2/10 तक पदोन्नति की अस्वीकृति की सूचना लिखित रूप में सूचित करना चाहिए।

5. क्रम सं.8 एवं 9 के कर्मचारियों के पदोन्नति/स्थानांतरण जनहित में है तथा वे या.भ./द.भ. एवं कार्यग्रहण समय के हकदार होंगे।

सभी कर्मचारी, आदेशानुसार, कार्यमुक्ति / कार्यग्रहण रिपोर्ट सभी संबंधितों को प्रस्तुत करेंगे।

आर.वेल्कु

सहायक निदेशक (प्रशासन)
कृते अपर आयुक्त एवं क्षे.नि.

सेवा में To,
संबंधित कर्मचारी
प्रतिलिपि Copy to:
चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी.निगम अस्पताल, के के नगर
अपर आयुक्त(सतर्कता) (द.मं.) ,
अपर आयुक्त, क.रा.बी. निगम अस्पताल, के.के.नगर
रा.चि.आ.,रा.चि.आ. का कार्यालय
संयुक्त निदेशक, उप.क्षे.का., सेलम/कोयम्बतूर/मदुरै/तिरुनेलवेली